उत्तर पश्चिम रेलवे,जोधपुर

5

मण्डल रेल प्रबंधक, कार्यालय

संख्या 1AT/संरक्षा/संरक्षा परिपत्र-05/2024 दिनांक- 12-03-2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मण्डल संरक्षा परिपत्र- 05 / 2024

विषय:- ओ.एच.ई. खण्ड पर हाई वोल्टेज ओवर हेड वायर से बचाव हेतु सावधानियाँ।

संदर्भ:- सी.ई.ओ./ सीआरबी रेलवे बोर्ड के दिशा / निर्देशों की अनुपालना के तहत।

++++

ओ.एच.ई. (उपरी उपस्कार) पर कार्य करते समय दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विद्युत कर्षण वितरण / कर्षण परिचालन / सामान्य. वाणिज्य, परिचालन, इंजीनियरिंग, यांत्रिक. संकेत एवं दूर संचार विभाग तथा संरक्षा विभागों के कर्मचारियों कौ कार्य करने के दौरान विशेष सावधानियों की आवश्यकता है:-

ओ.एच.ई पर कार्य करते समय ध्यान दें (ए.सी. टी.एम. भाग-2 पार्ट-1 के पैरा सं. 20600, 20614, 20616 के अनुसार)

1. बिना परमिट टू वर्क के लाइव ओएचई से दो मीटर या उससे कम दूरी पर रह कर कोई कार्य न करें।
2. बढ़े धातुई चीजों जैसे फेंसिंग प्लेटफार्म के स्ट्रेक्चर जो ट्रेक के समानान्तर लगे होते है आदि में बड़ी धातुई चीजों जैसे फेंसिंग प्लेटफार्म के स्ट्रेक्चर जो ट्रेक के समानान्तर लगे होते है आदि में इण्डक्टिव प्रभाव पैदा होता है अतः सुरक्षा के लिए इन्हें अर्थ कर देना चाहिये।
3. प्रत्येक कार्यदलों को कार्यस्थल के दोनो ओर कम से कम अलग अलग अर्थ द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिये।
4. यदि दो कार्यदलों के बीच की दूरी 1000 मी. से ज्यादा है, तो एक अर्थ मध्य में इस प्रकार लगायें कि दो अर्थो के बीच की दूरी 1000 मी. से ज्यादा न हो।
5. कार्यस्थल के दोनो ओर व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिये, जो कार्यदलों को उस पर ट्रैक पर आने वाली गाडियों की चेतावनी दे सकें।
6. ओ.एच.ई. की अर्थिंग के लिये, कार्यस्थल से कम से कम एक स्थान की दूरी पर खम्भे पर अर्थिंग क्लेम्प को अच्छी तरह से लगा दें व सुनिश्चित कर लें कि उस खम्भे से रेल तक का बॉण्ड ठीक तरह से लगा हो।
7. अर्थिंग क्लेम्प को हमेशा पहले ट्रेक्शन रेल या खम्भे पर कसें, फिर ऊपरी क्लेम्प को अर्थ की जाने वाली ओएचई पर टांग दे।
8. अर्थिंग को हटाते समय पहले ओएचई पर टंगे ऊपरी क्लेम्प को हटाये, फिर रेल या खम्भे पर लगे क्लेम्प को खोले।
9. तार के दो भागों या टूटे हुए तारों के दोनों सिरों को दोनों ओर की सप्लाई बन्द करने के बाद अलग अलग स्थानों पर दो जगह अर्थ करे यह सावधानी सेक्शनिंग पॉइंट व कट इन इन्सुलेटर पर या उसके पास कार्य के दौरान भी बरतनी चाहिए।
10. न्यूट्रल सेक्शन को लाइव उपकरणों की तरह माना जाना चाहिए तथा आरम्भ करने से पूर्व कार्यदल के दोनों ओर दो अलग अलग जगहो पर अर्थ करें।

Scanned with OKEN Scanner

11. जब किसी आइसोलेटर पर कार्य करना हो तो आइसोलेटर के दोनों सिरों को दो स्थानों पर अर्थ करे।
12. किसी भी टूटे हुऐ तारों को तब तक न छूए जब तक कि पावर सप्लाई बंद करके तारों को ठीक तरह ये अर्थ न कर दिया गया हों।
13. विद्युतीय ट्रेक पर स्टील या धातु के तथा मेटल रीइन्फोर्समेंट वाले टेपों का प्रयोग न करें।
14. सभी कर्मचारियों को दुर्घटनावश ऊपर से गिरने वाली वस्तुओ व उपकरण सामान आदि से बचाने हेतु सिर पर हैलमेट पहनानी चाहिए।
15. टनल व पुलों पर कार्य करते समय ट्रैफिक ब्लाक अवश्य ले ।

<u>विद्युतीकृत रेल लाइन एवं रेल परिसर पर बरती जानेवाली अन्य सावधानियाँ</u>

1. मालगोदाम पर सामानो को लोड एवं अनलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ओ.एच.ई. काट दी गई है।
2. सामान को लोड / अनलोड करने हेतु वैगन पर चढने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि आईसोलेटर अर्थिंग हिल के साथ अथवा ओ.एच.ई. को डिस्चार्ज रोड द्वारा अर्थ कर दिया गया है।
3. सिगनल पर चढ कर कार्य करने के दौरान ओ.एच.ई. से दूरी का ध्यान रखे ।
4. बरसात के मौसम में सिगनल पर कार्य करने के दौरान छाते की जगह रेन कोट का उपयोग करें।
5. सिगनल की सीढ़ी पर चढने से पूर्व यह जॉच ले कि सीढी में किसी प्रकार के अर्थ से सीढी में तो करंट नही आ रहा है।
6. यदि ओ.एच.ई का तार टूट कर गिर जाए तो उसको नही छुए ना ही किसी को ऐसा करने दे एवं तुरन्त इसकी सूचना अपने सुपरवाईजर और कन्ट्रोल को दे ।
7. समपार फाटक पार कर रहे व्यक्ति कोई लोहे की छड़ या पाईप लेकर समपार फाटक पार नही करे।
8. बिजली के सम्पर्क में यदि कोई व्यक्ति आ जाय जो उसे नही छूए ।
9. कृपया कोई भी वस्तु / व्यक्ति तारों के 2 मीटर की दूरी में नही आये ।
10. स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समय समय पर यात्रियों के लिए उद्घोषणा करे कि कोई भी यात्री स्टेशन भवन और गाडियों के डिब्बे के ऊपर न चढे।
11. यात्री ओएचई के तार / खम्भों पर लटके पंतग एवं अन्य वस्तु को छूने की कोशिश नही करे ।
12. विधुतीकृत रेल लाइल खण्डों में यात्रियों को जागरूक करने हेतु स्टेशन परिक्षेत्र एवं प्लेटफॉर्मों पर ओएचई से बरती जाने वाली सावधानियों के पोस्टर एवं चेतावनी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करे ।
13. विधुत / डीजल लोको शेडो में सभी कर्मचारियों को ओएचई से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में काउन्सिलिंग किया जाऐ।

वरि मंडल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे., जोधपुर

प्रति: मंडल रेल प्रबंधक, सुचनार्थ ।
अपर मंडल रेल प्रबंधक, सुचनार्थ ।

Scanned with OKEN Scanner